तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, हुक्म की तामील में जारी
22.11.22	पत्रावली आज पेश हुई। वादुकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी जा चुकी है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। जहाँ तक विवादग्रस्त भूमि ग्राम बिराई के खसरा संख्या 122 में मूलवाद में उभय पक्षकारान प्राथमिक डिक्री मंगाने हेतु राजी है। व वकील अप्रार्थी भी P.D हेतु सहमति दे चुके है। राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत चौसाला संवत 2074-2077 अनुसार ग्राम बिराई का खसरा संख्या 122 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण का 1/3-1/3 हिस्सा है। इस हिस्से को लेकर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। अब जबकि मूल वाद में P.D जारी हो चुकी है अतः एक सहखातेदार के विरूद्ध दूसरे सहखातेदार को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायालय उचित नहीं समझता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर ~~[illegible]~~ मूलपत्रावली के साथ नत्थी हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 22/11/22 **सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी**	